



दस्तावेज- 2286709

2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक 33/035/76/एक/2017-18  
सेवा में

दिनांक 01 अप्रैल 2017

सहायक परियोजना अधिकारी  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-गाजीपुर।


विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना।

कार्यालय सहायक सम्भागयी परिवहन अधिकारी (प्रशा0), गाजीपुर के पत्रांक 674 दिनांक 01.04.2017 एवं दूरभाष पर आप द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में ई रिक्शों के रजिस्ट्रेशन हेतु मांगी गयी अन्तर की धनराशि रू0 138240/- में से पूर्व में बीमा एवं रजिस्ट्रेशन मद में जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 57000/- के सामायोजनोपरान्त रू0 81240/- रिक्शा योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु डूडा के निम्न बचत खाते में अन्तरित करायी जा रही है:-


(धनराशि रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	441502010006014	IFSC Code UBIN0544159	81240.00

- 1- आपको निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब ई रिक्शों के रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अब इसमें किसी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।
- 2- धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रकपत्रांक एवं दिनांक तदैव  
प्रतिलिपि-

- 1- श्री ए0के0 उपाध्याय, सहा0 परि0 अधिकारी, सूडा मुख्यालय।
- 2- कम्प्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।
- 3- श्री योगेश आदित्य, सहा0 परि0 अधिकारी, सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक